भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1621
जिसका उत्तर बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को दिया जाएगा

उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित एमआरपी

1621. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्राय: बाजार में वास्तविक बिक्री मूल्य से काफी अधिक होता है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान भ्रामक एमआरपी, अत्यधिक छूट या अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के संबंध में महाराष्ट्र से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उत्पाद पैकेजिंग पर एमआरपी के अलावा निर्माताओं द्वारा कारखाने से पूर्व-मूल्य (एक्स-फैक्ट्री मूल्य) या उत्पादन लागत का प्रकटीकरण अनिवार्य करने की व्यावहारिकता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार अनुचित मूल्य वृद्धि की निगरानी करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लागत संपरीक्षा संबंधी रिपोर्टों या मूल्य निर्धारण आंकड़ो का उपयोग करती है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रथाओं को बढ़ावा देने, भ्रामक छूट के दावों को रोकने और देश भर में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ङ): सरकार कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व-पैकबंद वस्तु पर घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में सभी कर शामिल होने अनिवार्य हैं। विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 प्रावधान करते हैं कि किसी भी पैकबंद वस्तु को घोषित एमआरपी से अधिक कीमत पर उपभोक्ता को नहीं बेचा जा सकता। इन नियमों के तहत पैकेज पर विनिर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, विनिर्माण का महीना और वर्ष, एमआरपी, प्रति यूनिट बिक्री मूल्य और उपभोक्ता केयर विवरण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं करना आवश्यक है, जिससे उपभोक्ताओं को संसूचित खरीदारी का निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक मापविज्ञान विभागों द्वारा किया जाता है। विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें, जिनमें घोषित एमआरपी से अधिक मूल्य पर पूर्व-पैकबंद वस्तुओं की बिक्री या पैकेट पर गलत घोषणाएं शामिल हैं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक मापविज्ञान अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार निपटाई जाती हैं। उपभोक्ता उचित निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एमआरपी के अतिरिक्त कारखाने से पूर्व-मूल्य (एक्स फैक्ट्री मूल्य), उत्पादन लागत अथवा किसी अन्य मूल्य की घोषणा किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में यह विषय पूर्व में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तत्कालीन राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक डॉ. एम. गोविन्द राव की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। समिति ने पूरे देश में लागू होने वाली पूर्व-पैकबंद वस्तुओं के लिए एक मानक कीमत निर्धारित करने की व्यावहारिकता और एमआरपी के साथ एक अतिरिक्त कीमत बताने की आवश्यकता की जांच की। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानक कीमत तय करना या अतिरिक्त कीमत, जैसे कि 'फर्स्ट-पॉइंट' कीमत घोषित करने की अनिवार्यता लागू करना न तो व्यावहारिक था और न ही वांछनीय; इसके कई कारणों में से एक यह था कि अलग-अलग तरह के उत्पादों और बाज़ारों में ऐसी कीमतों को सही-सही तय करना और उन्हें लागू करना मुश्किल था।

समिति का विचार था कि अधिक प्रतिस्पर्धा, प्रभावी बाज़ार तंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को सुदृढ़ करने से उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर रक्षा होगी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
